उक्त रिक्तियों के आधार पर संविदा परिचालकों हेतु निम्न विवरण अनुसार आनलाईन www.upsrtc.com पर तथा सीधे एवं डाक के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:–

इन्टरमीडिएट पास एवं निम्न में अनिवार्यतः कोई एक अर्हताः–

1. अभ्यर्थी इण्टरमिडिएट परीक्षा उत्तीण हों तथा बिन्दु संख्या 03 में उल्लिखित कम से कम एक स्त्रोत की योग्यता रखता हो।
2. अभ्यर्थी की आयु भर्ती प्रारम्भ होने की तिथी को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिये। अनुसूचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी व भूतपूर्व सैनिकों की आयु सीमा में उत्तर प्रदेश शासन के नियमानुसार छूट दी जायेगी।
3. अभ्यर्थियों की अधिमानी योग्यता में निम्न श्रोतो के अनुसार क्रम संख्या 1) से 11) तक के श्रोतों से अभ्यर्थी पर कार्यवाही की जायेगी। क्रम संख्या 1) मृतक आश्रित को प्रथम वरीयता निर्धारित की जायेगी।

1) मृतक आश्रित।
2) उ0प्र0 परिवहन निगम के सेवानिवृत कर्मचारी (जिनकी आयु 65 वर्ष से कम हो)।
3) भूतपूर्व सैनिक।
4) अर्द्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त कर्मचारी।
5) समस्त सरकारी/निगमों के सेवानिवृत एवं छटनी शुदा कर्मचारी(जिनकी आयु 65 वर्ष से कम हो)
6) एन0सी0सी0 के ''बी'' प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थी।
7) इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने निलिट संस्था से ''ए'' लेवल का कम्प्यूटर प्रशिक्षण सफलता पूर्वक प्राप्त किया हो।
8) इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीण ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने केन्द्र सरकार/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थाओं से आई0टी0आई0 का प्रशिक्षण सफलता पूर्वक प्राप्त किया हो।
9) इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने निलिट संस्था से ''ओ'' लेवल का कम्प्यूटर प्रशिक्षण सफलता पूर्वक प्राप्त किया हो।

इस प्रकार उक्त 01 से 08 स्त्रोतों से संविदा परिचालकों को प्रयुक्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

4. परिवहन निगम से सेवा से पृथक किये जा चुके या किसी कदाचार के कारण संविदा से हटाये गये कार्मिक इस आबद्धिकरण हेतु अर्ह नहीं होंगे।

5. आनलाईन आवेदन हेतु देय आवेदन शुल्क का विवरण निम्नवत् हैः–

1	सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग	**रू0 200/–**
2.	अनुसूचित जाति/जनजाति	**रू0 100/–**
3.	उ0प्र0रा0स0 परि0 निगम के सेवानिवृत कर्मचारी/मृतक आश्रित के लिये	**निःशुल्क**

6. आनलाईन आवेदन के लिये आवेदन शुल्क क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/इन्टरनेट बैकिंग के माध्यम से जमा किया जा सकता है इसके पश्चात रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो
7. संविदा परिचालक के लिये आवेदित अभ्यर्थियों की इन्टरमीडिएट के प्राप्त प्रतिशत अंको के आधार पर मेरिट सूची आरक्षणवार अलग–अलग तैयार की जायेगी। इसी सूची के आधार पर ही क्षेत्र में रिक्तियों के अनुसार संविदा पर परिचालकों के आबद्धिकरण की कार्यवाही की जायेगी। बराबर परीक्षा प्राप्तांक प्रतिशत पाने की दशा में जिन अभ्यर्थियों की उम्र अधिक है उन्हीं को वरिष्ठ माना जायेगा।
8. चयन के पश्चात अभ्यर्थी को रजिस्ट्रेशन के समय संलग्न किये गये प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित एवं मूल प्रति क्षेत्रीय प्रबन्धक के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. आरक्षण का लाभ पाने के लिये आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
10. चयनित अभ्यर्थियों को क्षेत्र के किसी भी डिपो में तैनात किया जा सकता है।
11. चयनित अभ्यर्थियों को रू0 10000/00 प्रतिभूति के रूप में निगम कोष में जमा कराने होंगे। इन्हें 15 दिन का अवैतनिक प्रशिक्षण डिपो स्तर पर दिया जायेगा।
12. चयनित संविदा परिचालकों को निगम मुख्यालय द्वारा समय–समय निर्धारित दरों के अनुसार कि0मी0 के आधार पर भुगतान किया जायेगा।